न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 34/2013

1– श्री कैलाश पुत्र श्री पांचू जी
2– श्री रमेश पुत्र श्री पांचू जी
दोनो जाति बैरवा निवासियान मजरा नयागांव सतावडिया, पोस्ट सतावडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

————वादीगण

ब ना म

1– श्री घासी पुत्र श्री गंभीरा जी जाति गुर्जर निवासी मजरा नयागांव सतावडिया पोस्ट सतावडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर (मृतक नाऔलाद फोत डिलीट)
2– राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मसूदा राज0
3– राजस्थान सरकार बजरिये जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर

————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 15.5.2018

वादीगण ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा सतावडिया पटवार हल्का सतावडिया तहसील मसूदा में खसरा नंबर 1936/2 रकबा 01–02–00 किस्म आबी–2 स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 नाऔलाद फोत हो चुका है, जिसे मरे हुये करीब 12 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है, और प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु से पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हस्ब कब्जा काश्त एंव खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1936/1 की भूमि दिनांक 24.7.1990 को जरिये पंजीकृत बेचाननामा वादीगण के हक में बेचान करते हुये उक्त प्रतिवादी संख्या 1 की इस जायदाद को बेचान कर रगत पडत सहीत बेचान कर दिया और कब्जा भी वादीगण को संभला दिया इस प्रकार रगत पडत सहित खसरा नंबर 1936/2 पर भी वादीगण का ही कब्जा बेरोकटोक चला आ रहा है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के अधिनस्थ अधिकारी एंव कर्मचारीयो के द्वारा भूल करते हुये मोके पर कब्जा काश्त की भूमि की जानकारी मोके पर उपस्थित होकर नही लेते हुये सरसरी तौर पर ही दीगर व्यक्तियो से जानकारी लेकर प्रतिवादी संख्या 1 को गैर खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया गया जो कि गलत है, क्योकि वादीगण की खसरा नंबर 1936/2 के पास ही अन्य खातेदारी की भूमियां पहले से रही है और इस भूमि पर भी वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसके तहत वादीगण के हक में खातेदारी बाबत इन्द्राज होना न्यायोचित है, जिसके की वादीगण विधिक तौर पर कानूनन अधिकार रखते है। प्रतिवादी संख्या 2 के अधिनस्थ कर्मचारीयो के द्वारा दिनांक 7.2.2013 को वादीगण को सूचित किया कि वादीगण ने उपरोक्त तमाम कथनो को अवगत कराया किन्तु संतोषजनक उत्तर नही होने के कारण यह वाद प्रस्तुत करना पडा। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग होने के कारण मृतक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल नही करे खर्चा वाद दिलाया जावे।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के सम्मन पर तामील कुलिन्दा ने रिपोर्ट में कथन किया है, कि मौतवीन व्यक्तियो पर पुछने पर बताया गया कि प्रार्थी अर्थात घासी की मृत्यु हो चुकी है। जिस पर वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया और कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 नाऔलाद फोत हो चुका है, इसलिये वाद पत्र से उनका नाम डिलिट किया जावे। जिस पर पत्रावली व सम्मन की रिपोर्ट का अवलोकन करते हुये वादीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के आगे मृतक डिलीट शब्द अंकित किया जावे।

.....लगातार

प्रकरण में साक्ष्य वादीगण में वादी कैलाश पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी मजरा नया गांव सतावडिया एंव सावरलाल पुत्र सुखदेव जाति बैरवा निवासी नयागांव सतावडिया एंव ब्रहम्दत्त पुत्र रामधन जाति ब्राहम्ण निवासी नयागांव सतावडिया, हगामी उर्फ हगामा पुत्र हीरालाल जाति बैरवा निवासी नयागांव ने आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी का शपथ पत्र पेश करते हुये वादीगण द्धारा प्रस्तुत वाद पत्र के कथनो को दोहराया गया। वकील वादीगण ने भी अपनी बहस में वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये दावा स्वीकार किये जाने का कथन किया।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया वादीगण द्धारा प्रस्तुत वाद के समर्थन में दस्तावेज पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 24.07.1990 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 घासी पुत्र गंभीरा जी कौम गुजर निवासी सतावडिया नयागांव के द्धारा खसरा नंबर 1936/1 श्री रामेश उम्र 16 साल व केलाश उम्र 14 साल पिसरान पांचू नाबालिगान बवलायत पांचू पिता खुद कोम बैरवा निवासी सतावडिया नयागांव को बेचान किया जाना पाया गया। ग्राम सतावड़िया की जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के खाता संख्या 317 अनुसार खसरा नंबर 1936/1 रमेश व कैलाश पिसरान पांचू के नाम खातेदारी में दर्ज होकर बी0ओ0बी0 बैंक में रहन होना अंकित पाया गया। तथा जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के खाता संख्या 510 अनुसार विवादित भूमि खसरा नंबर 1936/2 प्रतिवादी संख्या 1 घासी पुत्र गंभीरा जाति गुजर के नाम गैर खातेदार दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2047 से 2050 के अनुसार विवादित भूमि सरकार मिलकियत होना दर्ज पाया गया। एंव जमाबंदी संवत 2055 से 2058 के अनुसार नामान्तकरण संख्या 822 दिनांक 24.04.2002 के अनुसार एंव जमाबंदी संवत 2057 से 2062 के अनुसार विवादित भूमि खसरा संख्या 1936/2 प्रतिवादी संख्या 1 घासी पुत्र गंभीरा जाति गुर्जर के नाम गैर खातेदार दर्ज होना पाया गया। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध आंशिक स्वीकार योग्य पाये जाने स्वीकार किया जाता है, तथा मौजा सतावडिया पटवार हल्का सतावडिया तहसील मसूदा में खसरा नंबर 1936/2 रकबा 01–02–00 किस्म आबी–2 मे वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण के चले आ रहे कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चायल)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.12 16:58:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: